राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प.7 (04)परि/नियम/मु./92/05/14271 जयपुर, दिनांक : 27-7-2015

कार्यालय आदेश 22/2015

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 के उपनियम (4) खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.02.2004 को जारी ''संयुक्त प्रमाण–पत्र'' की ऐच्छिक योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भार वाहनों द्वारा वाहन के प्रमाण–पत्रों के स्थान पर वाहन में ''संयुक्त प्रमाण–पत्र'' रखने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के संबंध में जारी कार्यालय आदेशों के माध्यम से जिला परिवहन अधिकारी से अन्यून अधिकारी को ही उक्त प्रमाण–पत्र धारित वाहनों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया। जिससे भार वाहनों द्वारा क्षमता से अधिक भार वहन करने, नियमानुसार निर्धारित आकार से अधिक होने पर भी जिला परिवहन अधिकारी से न्यून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उन पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की समस्या उत्पन्न हो रही है एवं वाहन स्वामियों द्वारा इस योजना का अनुचित लाभ लिया जा रहा है। अतः संयुक्त प्रमाण–पत्र योजना, 2004 को यथावत् रखते हुए विभाग द्वारा योजना के संबंध में समय–समय पर जारी समस्त कार्यालय आदेशों को एतद् द्वारा प्रत्याहूत (withdraw) किया जाता है।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

क्रमांक :– प.7 (04)परि/नियम/मु./92/05/14272-278 जयपुर, दिनांक : 27-07-2015

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण ....।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन) ....।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ....।
5. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र ....।
6. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्राग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

E:\Komal Prajapat\Office Orders